न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–सन्दीप कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 126/2022 दायरा दिनाक – 03.06.2022

1. भजनसिह पुत्र गुरदेवसिह जाति बाजीगर निवासी कीकरवाली जोहडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
2. भगवानदास पुत्र चादीराम जाति कम्बोज (फौत):– जरिये वसीयती वारिस–
   2/1 ओमप्रकाश } पुत्रगण भगवानदास अकवाम कम्बोज निवासी
   2/2 सतपाल } कीकरवाली जोहडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. छिन्द्रकौर पत्नी विक्रमसिह जाति बाजीगर साकिन किकरवाली जोहडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
2. दर्शनराम पुत्र मलकीतसिह जाति बावरी निवासी 5 एमएनडब्ल्यूएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
3. प्रीतमसिह पुत्र पालसिह जाति बाजीगर निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. पवन मोसलपुरिया पुत्र रामचन्द्र मोसलपुरिया जाति रेगर साकिन कोठी न. 2, सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर।
5. बन्ताराम पुत्र हीराराम जाति नायक साकिन 3 पी एस तहसील पदमपुर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
6. बनवारीलाल पुत्र बुधराम जाति नायक साकिन चक 5 एमएनडब्ल्यूएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
7. बिरमा पत्नी/पिता कृष्ण जाति बावरी साकिन 34 आर डब्ल्यू डी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. मनजीतसिह पुत्र दारासिह जाति मजहबी साकिन अमरपुरा थेडी तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ राजस्थान।
9. बिमलादेवी पुत्री हीराराम जाति नायक साकिन 3 पी एस तहसील पदमपुर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
10. श्रवणकुमार पुत्र हीरा जाति नायक साकिन 3 पी एस तहसील पदमपुर जिला श्रीगगानंगर राजस्थान।
11. सुनीता पत्नी छगनलाल जाति मेघवाल साकिन 6 एमएनडब्ल्यूएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
12. सलखण सिह पुत्र मलकीतसिह जाति बावरी निवासी 5 एमएनब्ल्यूएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
13. हीना पत्नी अजयसिह जाति बावरी निवासी 5 एमएनडब्ल्यूएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
14. नमनदीप पुत्र पृथ्वीराज } पृथ्वीराज जाति नायक साकिन किकरवाली जोहडी तहसील
15. मनीषा पुत्री पृथ्वीराज } सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
16. सन्तोष पुत्री पृथ्वीराज }
17. प्रेमकुमार पुत्र उदमीराम जाति नायक साकिन किकरवाली जोहडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
18. लक्ष्मी चौहान पत्नी नन्दराम जाति बावरी साकिन 5 एमएनडब्ल्यूएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
19. वीरसिह पुत्र बीलुराम जाति बावरी साकिन 5 एमएनडब्ल्यूएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
20. शहंशाह पुत्र चन्दराम जाति बावरी साकिन किकरवाली जोहडी तसहील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
21. सन्तोष पुत्र पृथ्वीराज जाति नायक साकिन किकरवाली जोहडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

22. सुभाष पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई साकिन उडसर तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
23. जीताराम पुत्र नेणाराम जाति बाजीगर शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राजस्थान।
24. जागरसिह पुत्र चाननसिह जाति बाजीगर साकिन मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
25. दर्शन सिह पुत्र चननसिह जाति बाजीगर साकिन मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
26. बलवन्तसिह पुत्र चननसिह जाति बाजीगर निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
27. कालुराम पुत्र } बनवारीलाल जाति नायक साकिन किकरवाली जोहडी तहसील
28. राजकुमार पुत्र } सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
29. आत्मासिह पुत्र } मखनसिह जाति बाजीगर साकिन मानेवाला
30. सुखचैनसिह पुत्र } तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :— **1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता — प्रार्थीगण**
2 राजस्थान सरकार पैरोकारराज तहसीलदार सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

—:: निर्णय ::— दिनांक :— 09.02.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि प्रार्थी न. 1 व अप्रार्थी न. 1 ता 13 के नाम से सयुक्त खाता में चक 4 एमएनडब्ल्यूएम कि जमाबन्दी संवत 2072 ता 75 के खाता न. 74/56 के पत्थर न. 107/339 के किला न. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 23/2 में 2.708 हैक व पत्थर न. 108/341 के किला न. 1/2 ता 9, 10/2 ता 13, 19/2 ता 20/2 में कुल 2.869 हैक कुल 5.577 हैक रकबा है जिसमें प्रार्थी न. 1 का 0.063 हैक रकबा खातेदारी हैं व घरूबटवारा में प्रार्थी न. 1 के पास में कब्जा पत्थर न. 108/341 के किला न. 13 में है। मौका पर इस किला में प्रार्थी न. 1 ने टयुवबैल लगा रखा है व विधुत कनैक्शन लिया हुआ है तथा प्रार्थी न. 2 मृतक भगवानदास पुत्र चादीराम के नाम से चक 4 एमएनडब्ल्यूएम की जमाबन्दी संवत 2072 ता 75 के खाता न. 38/31 के पत्थर न. 107/335 के किला न. 10/2 ता 11/1 व 14/2 ता 25/1 में 2.753 हैक रकबा खातेदारी है। भगवानदास दिनांक 21.12.2019 को फौत हो चुके है। तथा भगवानदास ने अपने जीवनकाल में अपने नाम के खातेदारी रकबा की वसीयत दिनांक 20.09.2010 को ही प्रार्थी न. 2/1 ता 2/2 के पक्ष में निष्पादित करवा दी थी इसलिए मृतक भगवानदास के नाम के रकबा के वसीयत के आधार पर वारिस होने से प्रार्थना पत्र पेश करने के हकदार है तथा प्रार्थी न. 2/1 ता 2/2 ने अपने पिता के नाम के पत्थर न. 107/335 के किला न 20/2 ता 25/1 के रकबा को काश्त करने के लिए भजनसिह को ठेके पर दे रखा है व इसी पत्थर न. 107/335 के किला न. 10/2 ता 19 तक स्वंय काश्त करते है। चक 4 एमएनडब्ल्यूएम के पत्थर न. 108/340 के किला न. 1 ता 25 का 6.325 हैक रकबा सयुक्त खाता में अप्रार्थी न. 14 ता 21 के नाम खातेदारी दर्ज है व पत्थर न. 107/338 के किला न. 10/2, 11, 20, 21 का रकबा अप्रार्थी न. 22 सुभाष के नाम से है व इसी पत्थर न. 107/338 के किला न. 1/2 व 10/1 का रकबा अप्रार्थी न. 23 के नाम खातेदारी है व इसी चक के पत्थर न 107/337 के किला न. 10/2, 11/1 का रकबा अप्रार्थी न. 25 के नाम खातेदारी दर्ज है व किला न. 11/2 व 20/1 का रकबा अप्रार्थी न. 26 के नाम खातेदारी दर्ज है व पत्थर न. 107/337 के किला न 1 व 10/1 अप्रार्थी न 24 के नाम खातेदारी दर्ज है व पत्थर न. 107/337 का किला न. 21 का रकबा आराजीराज रकबा है तथा पत्थर न. 107/336 के किला न. 1/2,

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

10/2, 11, 20, 21 का रकबा अप्रार्थी न. 27 व 28 व 29, 30 के नाम खातेदारी है। प्रार्थी न. 1 ने अपने सयुक्त खातेदारी रकबा पत्थर न. 108/341 के किला न. 13 में लगे हुऐ टयुबवैल से पानी पत्थर न. 107/335 के किला न. 20 व 21 तक अप्रार्थीगण के खातेदारी रकबा मे से पाईप के माध्यम से ले जाना चाहता है। जिसके लिए पत्थर न 108/340 के किला न 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी पासा पर व पत्थर न. 107/339, 107/338, 107/337, 107/336 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 के पश्चिमी पासा पर जमीन में तीन चार फुट गहराई में पाईप लाईन पूर्व से दबी हुई है। केवल मात्र पत्थर न. 107/341 के किला न. 7 व 5 मे से कुटाउ (किला न. 7 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से किला न. 5 के उतरी पूर्वी कोने तक) पाईप लाईन दबानी शेष है। पाईप लाईन दबाने की स्वीकृति बाबत तथा पत्थर न. 108/340 व पत्थर न. 107/339, 107/338, 107/337, 107/336 में से पूर्व में दबी हुई पाईप लाईन को किसी तरह की बाधा न पहुचावे व इस पाईप लाईन के लिकेज हो जाने पर पाईप लाईन को दुरस्त करने में किसी तरह की दखलदाजी ना करे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को साधारण व रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया तथा दिनाक 23.07.2023 को सार्वजनिक सुचना जरिये अखबार साया प्रकाशित करवाया गया परन्तु बावजूद सुचना उपस्थित ना होने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई व वकील प्रार्थीगण व पेरोकारराज की बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया चक 4 एमएनडब्ल्यूएम के पत्थर न. 108/341 के किला न. 5, 7 में से कुटाउ (किला न. 7 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से किला न. 5 के उतरी पूर्वी कोने) तक जमीन में तीन फुट ज्यादा गहरी पाईप लाईन दबाने की स्वीकृत जारी करनी चाही थी प्रार्थी ने दिनांक 14.12.2023 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि इस रकबा में से पाईप लाईन दबा दी है। इसलिए इस रकबा सहीत पूर्व में दबी हुई पाईप लाईन की स्वीकृति जारी करते हुये अप्रार्थीगण को पाबन्ध करना उचित समझता हूँ कि वो इस दबाई जाने वाली पाईप लाईन व पत्थर न. 108/340 के किला न. 5, 6, 15, 16, 25 व पत्थर न. 107/339 से पत्थर न 107/336 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 में पूर्व में दबी हुई पाईप लाईन को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुचावें व इस पाईप लाईन के लिकेज हो जाने पर पाईप लाईन को दुरस्त करने में किसी तरह की दखलदाजी ना करे।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 4 एमएनडब्ल्यूएम के पत्थर न. 108/341 के किला न. 5, 7 में से कुटाउ (किला न. 7 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से किला न. 5 के उतरी पूर्वी कोने) तक व पत्थर न. 108/340 के किला न. 5, 6, 15, 16, 25 व पत्थर न. 107/339 से पत्थर संख्या 107/336 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 तक जमीन में तीन फुट ज्यादा गहरी पाईप लाईन जो पूर्व में दबी हुई है, की स्वीकृत जारी की जाती है व तथा अप्रार्थीगण को पाबन्ध किया जाता है कि उक्त दबी हुई पाईप लाईन को किसी तरह की क्षति ना पहुचाये व पाईप लाईन लिकेज होने की दशा में अप्रार्थीगण लिकेज निकालने में कोई बाधा पैदा ना करे व अप्रार्थीगण अगर अपने रकबा को समतल करके मिट्टी उठाते है तो प्रार्थीगण द्वारा दबाई हुई पाईप लाईन को गहरी करने में किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा ना करे अप्रार्थीगण फसली मुआवजा नियमानुसार प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)